झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 21.12.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	डॉ0 सरफराज अहमद स0वि0स0	गिरिडीह जिलान्तर्गत गाण्डेय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गाण्डेय, बेंगाबाद प्रखंड तथा गिरिडीह प्रखंड का आधा हिस्सा SDPO सदर के अन्तर्गत आता है। जिसमें 3 (तीन) थाना गाण्डेय, 1 (एक) थाना बेंगाबाद तथा मुफ्फसिल का आधा हिस्सा आता है। SDPO सदर का कार्यालय काफी दूर होने के कारण उक्त प्रखंडों के लोगों को कार्य करवाने में काफी असुविधा होती है। ऐसी स्थिति में SDPO सदर का नाम SDPO गाण्डेय/बेंगाबाद रखकर इसका मुख्यालय गाण्डेय/बेंगाबाद में ही रखना जनहित के लिए श्रेयस्कर होगा। इसी के अन्तर्गत चार PS यथा गाण्डेय, अहिल्यापुर, ताराटांड़ तथा बेंगाबाद को रखा जा सकता है। साथ ही आरक्षी उपाधीक्षक मुख्यालय-1 के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नगर **PS** मुफ्फसिल **PS,** महिला **PS, AC/ST PS** तथा ट्रैफिक **PS** को रखा जा सकता है आरक्षी उपाधीक्षक मुख्यालय-2 के अन्तर्गत पचम्बा, जमुआ और नवडीहा PS को रखना उचित होगा। अतः प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं जनहित में वर्णित बिन्दुओं पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
02-	श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0 श्री जिग्गा सुसारन होरो स0वि0स0 श्री भूषण बाड़ा स0वि0स0	सिमडेगा जिलान्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल पाँचों प्रखण्डों में और जिला के कई अन्य प्रखण्डों में भी आये दिन हाथियों का उत्पात मचाना आम बात हो गई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में भय का महौल व्याप्त है लोग आज ऐसे ही वातावरण में जीवन जीने के लिए मजबूर है। वर्तमान समय में मानव समुदायों और हाथियों के बीच टकराव की वजह हाथियों का भोजन एक मात्र कारण है सरकार के वन विभाग को इस बात पर गम्भीरतापूर्वक सोचने कि आवश्यकता है कि इन हाथियों के भोजन का समाधान स्थायी रूप से करनी होगी ताकी इन्हें ग्रामीण इलाकों में जाने से रोका जा सके। ज्ञात हो कि ऐसे में इन हाथियों के आतंक प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को कृषि के कार्य एवं हाथियों के भय से लोगों के स्वस्थ पर दुषप्रभाव पड़ रहा है। अतः सदन के माध्यम से मैं यह माँग करता हूँ कि इन हाथियों के आतंक के कारण हो रहे नुकसानों को रोकने हेतु मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन
03-	श्री विकास कुमार मुण्डा स0वि0स0	मेरे विधान सभा क्षेत्र के कांची नदी पर हाराडीह एवं बामलाडीह स्थित दो उच्चस्तरीय पूल दो वर्ष गिर गए थे। इन दो वर्षो में संबंधित विभाग को कई बार पत्राचार करने के बावजूद अब तक उक्त पूलों की जाँच एवं पुर्ननिर्माण महज प्रक्रियाधीन है और मेरे क्षेत्र के ग्रामीण इससे बेहद परेशान हो रहे है। अतः मैं आग्रह करूँगा कि यथाशीघ्र इस जाँच को पूरा करते हुए दोनों पूलों के पुर्ननिर्माण कार्य को प्रारंभ किया जाय।	ग्रामीण कार्य
04-	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स0वि0स0	राँची जिलान्तर्गत थाना-जगरनाथपुर के रोड नं0-15, हवाई नगर हटिया निवासी श्रीमती मणि कुमारी पिता- श्री शिव नारायण पासवान का मकान बना हुआ है, जिसका चाहरदीवारी का निर्माण कार्य भी	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
		किया गया है, जिसमें पीड़िता का सपरिवार निवास करता है, परन्तु भू-माफिया, दबंग एवं अपराधी प्रवृत्ति के श्री लक्ष्मण सिंह पिता-रामेश्वर सिंह, निवासी रोड-नं0-15, हवाई नगर, हटिया द्वारा थाना प्रभारी श्री अरबिन्द कुमार सिंह की मिलीभगत से इनकी जमीन को हड़पने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। सम्बंधित थाना में लिखित आवेदन बार-बार दिया जा रहा है, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा इनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे इनका परिवार भयभीत एवं डरा हुआ है, ये अनुसूचित जाति की महिला है जिसे जाति सूचक शब्द से हमेशा सम्बोधित कर भद्दी-भद्दी गालियाँ दी जा रही है। अतः सम्बंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए भू-माफिया एवं दबंगों द्वारा अवैध रूप से की जा रही (जमीन) कब्जे पर रोक लगाते हुए उक्त हरिजन महिला को न्याय दिलाने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
05-	**श्री अमित कुमार यादव स0वि0स0**	कोडरमा जिला अन्तर्गत झुमरी तिलैया नगर पर्षद के वार्ड नं0-27 मौजा मोटियावा के खाता सं0-40, 4 प्लॉट सं0-44, 1250 एवं अन्य रकवा 20 एकड़ लगभग सरकारी भूमि का फर्जी दस्तावेज तैयार कर उक्त भू-खण्ड को भू-माफिया द्वारा हड़पा जा रहा है। उक्त सरकारी भूमि पर पार्क का निर्माण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है, और उक्त स्थल पर पार्क निर्माण हेतु राशि भी स्वीकृत की गयी थी। अतः व्यापक लोकहित में उक्त सरकारी भूमि पर पार्क निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करने हेतु सदन एवं सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	**पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य**

राँची,
दिनांक- 21 दिसम्बर, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-66/2023-2499/वि0 स0, राँची, दिनांक- 20/12/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/ सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग एवं सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2023

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-66/2023-2499/वि0 स0, राँची, दिनांक- 20/12/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/2023

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

20.12.23